

शाहीरशाम तौरा बनाम चतणी तौरा

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकॉम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतबा  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
आईन्दा दिनांक 29/12/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतबा  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
आईन्दा दिनांक 29/12/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतबा  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
आईन्दा दिनांक 29/12/25 को पेश हो।

09/02/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्षकारान उपस्थित। वकील  
उमयपक्षकारान ने पत्रावली पर तथ्यों व सप्तम दस्तावेजी  
साक्ष्यों पर बहस की। वकील उमयपक्षकारान की बहस  
पर मतन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी  
साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र व विपरीतगण द्वारा प्रार्थना के  
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कायकारी अधिनियम  
1955 के संबंध में प्रस्तुत पदवार जवाब में अंकित  
तथ्यों पर न्यायिका द्वारा सुविधुत विचारणीयता  
हस्ताक्षर प्रकरण में सुविधा संकलन, प्रार्थना के पत्र में  
न होकर विपरीतगण के पत्र में प्रतीत होता है।  
अतः प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन अंतर्गत  
धारा 212 राजस्थान कायकारी अधिनियम, 1955 का  
निर्णय अन्त से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया  
जाता है। पत्रावली चैसत शुमार होकर दाखिल उपतर  
हो। संख्या से एक कम हो।



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन संख्या-180/2025

पीठासीन अधिकारी- बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. भागीरथराम पुत्र फगलू	1. चनणी पत्नी धीमा
2. गंगाविशन पुत्र फगलू	2. जयकिशन पुत्र भारमलराम
3. बाबुलाल पुत्र फगलू	3. पेमा पुत्र वगता
4. मोहनलाल पुत्र फगलू	4. बाबुराम पुत्र धीमा
5. रिडमल पुत्र मंगला	5. भीखी पुत्री भारमलराम
6. सदराम पुत्र मंगला	6. मूलीदेवी
जातियान विश्नोई निवासीगण	पत्नी भारमलराम
रिडमलनगर पीपलीबेरी तहसील	7. मांगीलाल पुत्र भारमलराम
सेड़वा जिला बाड़मेर।	8. राणाराम पुत्र भारमलराम
	9. वभूता पुत्र वगता
	जातियान विश्नोई निवासीगण रिडमलनगर पीपलीबेरी
	तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
	10. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण- प्रार्थीगण वकील- श्री आम्बाराम पूनड़

विप्रार्थी संख्या 01 व 09 के वकील- श्री श्रीराम विश्नोई

--: निर्णय ::--

दिनांक:- 09/02/2026

प्रार्थीगण भागीरथराम पुत्र फगलू जाति विश्नोई निवासी पीपलीबेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "सरहद मौजा- रिडमलनगर पीपलीबेरी, पटवार क्षेत्र, बामड़ला तहसील-सेड़वा, जिला बाड़मेर में खेत खाता



सहायक कलक्टर  
(SDO) सेड़वा

15 खसरा नम्बर 665/543 रकबा 12.3591 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम का आया हुआ है। जिसके चारो ओर वर्षों पुरानी माठे कायम है। उक्त आराजी का लगान भी प्रार्थीगण अदा करता आ रहा है। गिरदावरी भी प्रार्थीगण के नाम से तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की अलग तरमीमसुदा व कब्जाकाशत खातेदारी की आयी हुई है जिस पर प्रार्थीगण का सहज शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से कब्जा काशत निरन्तर चला आ रहा है जो नक्शे में भी किशतवार तरमीमसुदा है। इसी अनुसार मौके पर पुरानी मांठे, बाड़ इत्यादि कायम है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय घर, पक्का कुआ इत्यादि स्थित है। लेकिन अभी भूमि की कीमतों में वृद्धि होने से वादग्रस्त आराजी को विप्रार्थीगण येन-केन-प्रकारेण जबरन हड़प कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं तथा विप्रार्थीगण अपनी भूमि से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर मौके पर मौजूद मांठो को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए तोड़ना चाहते है तथा प्रार्थीगण के खेत को अपने खेत में मिलाकर जबरन कब्जा करना चाहता है व पक्का निर्माण करने को आमादा हैं तथा वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण का कोई हक हकूक या अधिकार नहीं होने से ऐसा करने का उन्हें कोई कानूनी हक नहीं है। ऐसा कृत्य विप्रार्थीगण का अवैधानिक मनमाना व स्वेच्छाचारी है। वादग्रस्त भूमि के सेढे पर वर्षों पुरानी मांठें कायम है, तथा कांटो की बाड़ भी की हुई है। उक्त माठ को विप्रार्थीगण मिलकर आये दिन तोड़ते रहते है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे जबरन घुसकर पक्का निर्माण करना चाहते है। इस प्रकार विप्रार्थीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा हर समय उपरोक्त कृत्य करने में भरपुर यत्न करते रहते है तथा प्रार्थीगण को काशत करने में भारी विघ्न इत्यादि डालते रहते है। प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकियां भी देते है कि आपने हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई की, तो झूठे मुकदमें में फंसा देंगे। इस प्रकार प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण ने हैरान परेशान कर रखा है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने कई बार गांव के पंच-मुख्यान से पंच-पंचायती भी करवाई, लेकिन विप्रार्थीगण अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आ रहे है। वादग्रस्त भूमि को अवैध एवं विधि विरुद्ध तरिके से प्रार्थीगण के खेत जबरन हड़प करना चाहता है तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर कब्जे कर मौके पर खडे वर्षों पुरानी मांठो को काटकर प्रार्थीगण के खेत में प्रवेश



★ (2)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) सेड़वा

कर काशत करना चाहता है तथा जबरन पक्का निर्माण करना चाहता है जिन्हें रोकने हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण ने कई बार वादग्रस्त खेत में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जाकाशत, उपयोग-उपभोग में दखलन्दाजी पैदा करने व मौके पर मांठ खडी पुरानी कांटो की बाड को हटाना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर झगडा करने पर उतारु हो जाते है। जिससे विप्रार्थीगण को मना भी किया, पंच पंचायती से औलभा भी दिलाया, जिससे विप्रार्थीगण ओर नाराज होकर, आवेश में आकर प्रार्थीगण को ऐलानिसा धमकियां देते है कि अभी तो क्या हुआ है वादग्रस्त खेत में जबरन प्रवेश कर जबरन काशत करेंगे, मौके पर मौजूद मांठो को तोडकर जबरन पक्का निर्माण करेंगे। इस प्रकार विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जाकाशत, मालिकाना हक हकूक खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करें तथा न ही आराजी की मांठ इत्यादि न काटे व न ही उक्त आराजी में जबरन घुसकर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के प्रार्थीगण हकदार होने से एतदर्थ प्रार्थना पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण ने कई बार वादग्रस्त खेत में प्रार्थीगण शांतिपूर्ण कब्जाकाशत, उपयोग-उपभोग में दखलन्दाजी पैदा करते हैं। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर झगडा करने पर उतारु हो जाते हैं। प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त खेत से कब्जा खाली कर देना, अन्यथा हम आपको जबरन बेदखल कर जबरन हम मकान बनाएगे। जिससे विप्रार्थीगण का कृत्य मनमाना, स्वैच्छाचारी व अवैधानिक है ऐसा करने का विप्रार्थीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण उपरोक्त अवैधानिक कृत्य करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को तरह-तरह के मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा, वाद की बहुलताएं बढेगी व कानूनी जटिलताएं पैदा होगी। प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने स्वामित्व खातेदारी कब्जाकाशत की भूमि से वंचित हो जाएंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं है। इस प्रकार कानूनी तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाशत का खेत मौजा - रिडमलनगर पीपलीबेरी,




पटवार क्षेत्र - बामड़ला, भू.अ.नि.क्षेत्र- बामड़ला तहसील-सेड़वा, जिला बाड़मेर में खेत खाता संख्या 15 खसरा नम्बर 665/543 रकबा 12.3591 हैक्टर किस्म बा. सोयम भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाशत में विप्रार्थीगण दखलन्दाजी पैदा न करे, वादग्रस्त भूमि के सीमा पर खड़े वर्षों पुराने माठ, बाड़ व मांठों में रद्दो-बदल, छेड़-छाड़ नही करें तथा न ही मांठों को काटकर जबरन प्रार्थीगण को बेदखल कर कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थीगण के खेत में विप्रार्थीगण जबरन प्रवेश नहीं करें। उक्त कृत्य विप्रार्थीगण न तों स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी से करावें तथा वादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद से अंतिम निस्तारण तक बनायें रखें तथा न ही नामान्तरकरण की कार्रवाई करें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण संख्या 180/2025 उनवान भागीरथराम वगैरा बनाम चनणी वगैरा में दिनांक 13.06.2025 को जारी स्थगन आदेश द्वारा तहसील सेड़वा के मौजा रिडमलनगर पीपलीबेरी पटवार क्षेत्र बामड़ला भू.अ.नि. बामड़ला के नया खाता संख्या 15 के खसरा संख्या 665/543 रकबा 12-3591 हैक्टेयर किस्म बाराणी दोयम भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया।

विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पदवार जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 665/543 रकबा 12-3591 हैक्टेयर का आया हुआ है, लेकिन प्रार्थीगण के पड़ोस में विप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 312 रकबा 5-6575 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खेत पर लगभग 10 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा किया हुआ है। प्रार्थीगण अपने खेत पर कब्जा काशत जरूर है



  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) सेड़वा

लेकिन अपनी खातेदारी भूमि से अधिक भूमि पर पड़ोसी खेत यानी विप्रार्थीगण के खेत पर कब्जा कर रखा है जिसके संबंध में विप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय में राजस्व आवेदन संख्या 281/2023 आदेश दिनांक 12.05.2025 दिया हुआ है, जिसकी पालना को रोकने के लिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त स्थगन न्यायालय से प्राप्त किया है। विप्रार्थीगण अपने खेत की नेखमबंदी कानूनी रूप से करवाकर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं। विप्रार्थीगण अपने खेत की नेखमबंदी का आदेश न्यायालय द्वारा दिया हुआ है एवं विप्रार्थीगण कानूनी प्रक्रिया से प्रार्थीगण के कब्जे से अपनी जमीन पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थीगण का यह कथन असत्य है कि विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थीगण स्वयं विप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर के बैठे हैं इसलिए आवेदन पत्र में समस्त तथ्य पूर्णतया मनगढ़ंत है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण की नेखमबंदी रूकवाने के लिए उक्त स्थगन न्यायालय से प्राप्त किया है। विप्रार्थीगण अपने खेत की नेखमबंदी कानूनी तरीके से करवाकर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में जारी मौके का स्थगन हटाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खसरे अलग-अलग हैं। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि से अधिक भूमि पर पड़ोसी खेत यानी विप्रार्थीगण के खेत पर कब्जा कर रखा है। विप्रार्थीगण कानूनी तरीके से अपने खेत का नाप करवाकर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए विप्रार्थीगण 01 से 09 के विरुद्ध जारी स्थगन को हटाने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेकसंगत अध्ययन, अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथा संलग्न दस्तावेजात् पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र व विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संबंध में प्रस्तुत पदवार जवाब में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत हस्तगत प्रकरण में सुविधा संतुलन, प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इस कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 09 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब को स्वीकार किया जाता है।



अनवान-भागीरथराम वगैरा बनाम चनणी वगैरा  
प्रकरण संख्या 180/2025

अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विप्रार्थी संख्या 01 से 09 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 180/2025 में दिनांक 13.06.2025 को अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश हो।



निर्णय आज दिनांक 09/02/26 को खुले इजलास में सुनाया गया।

6

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपरवर्ष अधिवक्ता सेडवा  
(S.D.O.) सेडवा